

समक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत
(बाह्य न्यायालय, रामनगर, जिला नैनीताल)

स्थान :- रामनगर	दिनांक-14 सितम्बर, 2024
पीठ संख्या :-	16
वाद संख्या / प्रार्थना पत्र संख्या (वादपत्र के अनुसार)	आपराधिक वाद संख्या : 747 / 2022 अनिल कुमार अग्रवाल बनाम रेखा रानी

याचिकाकर्ता / वादी / शिकायतकर्ता	: अनिल कुमार अग्रवाल (परिवादी)
प्रतिवादी / प्रत्युत्तरदाता	: रेखा रानी (अभियुक्त)
वाद की प्रकृति	आपराधिक वाद (अन्तर्गत धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881)

उपस्थित

अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ : श्री सिद्धार्थ कुमार
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामनगर, जिला नैनीताल

सदस्य, राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ : कु0 सुब्बाना तबस्सुम, एडवोकेट

अधिनिर्णय

दिनांक-14.09.2024

उपरोक्त मामला निस्तारित किये जाने हेतु इस राष्ट्रीय लोक अदालत पीठ के समक्ष संदर्भित / प्रस्तुत किया गया। अतः निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र वास्ते परिवाद वापस लेने हेतु प्रस्तुत कर मौखिक रूप से कथन किया गया कि वह प्रश्नगत आपराधिक परिवाद को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने हेतु दिनांक 14.09.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच के लिए संदर्भित किया जाय। जिस पर पत्रावली आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच के समक्ष प्रस्तुत हुई।

परिवादी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि उपरोक्त वाद में परिवादी व अभियुक्त के मध्य राजीनामा हो चुका है तथा अब कुछ लेना शेष नहीं है। परिवादी उपरोक्त वाद पर कोई बल देना नहीं चाहता है। परिवादी ने बैंक में वर्णित रकम अभियुक्त से प्राप्त कर ली है। तदनुसार राजीनामा के आधार पर मामले को निस्तारित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

परिवादी एवं अभियुक्त के मध्य सुलहनामा हो गया है और परिवादी वाद की कार्यवाही प्रार्थना पत्र दिनांकित 17.08.2024 के आधार पर आगे नहीं चलाना चाहता है।

अभियुक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 का अभियोग है, धारा-147 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध अधिरोपित अभियोग शमनीय प्रकृति का है।

प्रस्तुत परिवाद के पक्षकारों के मध्य आपस में सुलह-समझौता किया गया है। अतः शमन के आधार पर प्रस्तुत आपराधिक वाद की कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि सुलह-समझौता की कोई शर्त नहीं रखी गयी है, बल्कि परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद की कार्यवाही को समाप्त किये जाने का प्रार्थना पत्र दिया गया है। इस सुलह-समझौता में सम्बन्धित न्यायालय की कोई भूमिका नहीं रही है और न ही सम्बन्धित न्यायालय द्वारा सुलह-समझौता में कोई

प्रतिभाग किया गया है। अतः मध्य प्रदेश लीगल सर्विसेस एथार्टी बनाम प्रतीक जैन एवं अन्य (2014) 10 एस0सी0सी0 690 में पारित माननीय उच्चतम् न्यायालय की विधि व्यवस्था के अनुसार अभियुक्त पर कोई जुर्माना अधिरोपित नहीं किया जा रहा है।

पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल अभिलेखागार हो।

कु0 सुब्हाना तबस्सुम, एडवोकेट
सदस्य, राष्ट्रीय लोक अदालत बैंच,

(सिद्धार्थ कुमार)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रामनगर, जिला नैनीताल
अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक अदालत
बैंच संख्या 16
14 सितम्बर, 2024